

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/19

जयपुर, दिनांक : 31-10-2019

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति	राजकीय आवास संख्या
1.	64/2008	श्री सुरेन्द्र कुमार मावर कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर (पश्चिम), जयपुर।	1.8.2031	5/54, गांधीनगर
2.	85/2012	श्री महेश गौतम वरिष्ठ लिपिक कार्यालय उद्योग मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2053	5/ए/24, बहुमंजिला, गांधीनगर
3.	14/2013	सुश्री नीतू शर्मा लिपिक ग्रेड-प्रथम वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.1.2043	5/60, गांधीनगर
4.	66/2008	श्री कमलेश कुमार गहलोट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर संभाग, शिक्षा संकुल, ब्लॉक-3, जयपुर।	30.6.2035	5/156, गांधीनगर
5.	68/2008	श्रीमती आरती कच्छावा कनिष्ठ लिपिक मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सेठी कॉलोनी, जयपुर।	31.10.2033	5/63, गांधीनगर
6.	69/2008	श्री प्रवीण बोहरा कनिष्ठ लिपिक मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सेठी कॉलोनी, जयपुर।	31.10.2027	5/67, गांधीनगर
7.	15/2013	श्री सुल्तान सिंह राजपूत लिपिक ग्रेड-प्रथम कार्यालय मंत्री, खान शासन सचिवालय, जयपुर	30.9.2047	5/85, गांधीनगर
8.	16/2013	श्री हर्षकुमार प्रजापति लिपिक ग्रेड-प्रथम प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.9.2049	5/70, गांधीनगर
9.	71/2008	सुश्री वीतू अलवत अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रानियावास, जमवारामगढ, जयपुर।	31.10.2036	5/84, गांधीनगर
10.	73/2008	श्री लक्ष्मी नारायण पोरवाल कनिष्ठ लिपिक पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), जयपुर।	31.5.2038	5/95, गांधीनगर
11.	74/2008	श्री जीवराज भाटी कनिष्ठ लिपिक रूरल नान फॉर्म डवलपमेंट एजेंसी, जयपुर।	30.4.2029	5/97, गांधीनगर

12.	18/2013	श्री पुष्पेन्द्र देवतवाल वरिष्ठ लिपिक वित्त (आय-व्ययक) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2036	5/99, गांधीनगर
13.	19/2013	श्री अर्जुन लाल शेषमा वरिष्ठ लिपिक कार्यालय राज्यमंत्री शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर	31.1.2044	जीएडी/5/टी-1/23, विद्याधर नगर
14.	75/2008	श्री सचिन औझा कनिष्ठ लिपिक राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व विभाग, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।	31.7.2037	5/100, गांधीनगर
15.	76/2008	श्री वीजेन्द्र सिंह कनिष्ठ लिपिक पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.4.2035	5/107, गांधीनगर
16.	77/2008	श्री अशोक कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।	31.10.2030	5/110, गांधीनगर
17.	20/2013	श्री शिवशंकर शर्मा वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	28.2.2035	5/112, गांधीनगर
18.	21/2013	श्री कैलाश चंद चौधरी वरिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.9.2041	5/113, गांधीनगर
19.	78/2008	श्री देवान्द भोजवानी कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, रोजगार सेवा दरबार स्कूल, परिसर, गोपीमार्ग, जयपुर।	31.1.2027	5/136, गांधीनगर
20.	80/2008	श्री अशोक कुमार कनिष्ठ लिपिक भू-जल विभाग, जयपुर।	30.6.2047	5/138, गांधीनगर
21.	88/2008	श्री वीरसिंह चौहान वाहन चालक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।	31.7.2034	5/142, गांधीनगर
22.	27/2013	श्री नरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2037	जी-943 (नया नं. 5/173) गांधीनगर
23.	28/2013	श्री विजय सिंह वरिष्ठ लिपिक कृषि (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2044	5-डी-7, बहुमंजिला, गांधीनगर
24.	89/2008	श्रीमती आशा माथुर कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर नगर, जयपुर।	31.10.2040	जीएडी/5/टी-1/35, विद्याधर नगर
25.	90/2008	श्री भूपेश शर्मा कनिष्ठ लिपिक पर्यटन विभाग, जयपुर।	31.3.2041	जीएडी/5/टी-1/44, विद्याधर नगर
26.	3/09	श्री संकल्प सिंह कनिष्ठ लिपिक ड्रिलिंग उपखण्ड चतुर्थ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,	31.1.2043	जीएडी/5/टी-1/47, विद्याधर नगर

		जयपुर।		
27.	29/2013	श्री सुनील कुमार पंवार कार्मिक(क-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2037	5/बी/23 बहुमंजिला, गांधीनगर
28.	30/2013	श्री अर्जुन कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक(क-4/वादकरण) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2045	जीएडी/5/टी-1/51, विद्याधर नगर
29.	8/09	श्री रोहिताश चौधरी कानिस्टेबल चालक नं0 909 सा.आई.डी (सी.बी.) मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।	30.6.2038	जीएडी/5/टी-1/54, विद्याधर नगर
30.	9/09	श्री महेन्द्र कुमार राठी आरक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।	31.1.2042	जीएडी/5/टी-1/64, विद्याधर नगर
31.	10/09	श्री कैलाश चन्द मीणा उप निरीक्षक पुलिस सा.आई.डी. (सी.बी) मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।	31.7.2036	जीएडी/5/टी-1/76, विद्याधर नगर
32.	31/2013	श्री सुनील मीणा वरिष्ठ लिपिक वित्त (आय-व्ययक) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2052	5-सी-18, बहुमंजिला, गांधीनगर
33.	32/2013	सुश्री मीरा मीना वरिष्ठ लिपिक विधि (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2051	जीएडी/5/टी-1/80, विद्याधर नगर
34.	13/09	श्री मनोज कुमार जैन कनिष्ठ लिपिक न्याया0 अति. सि. न्यायाधीश (क.खं.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र. सं. 17 जयपुर।	31.7.2030	जीएडी/5/टी-1/85, विद्याधर नगर
35.	14/09	श्री मोहन लाल मीणा कनिष्ठ लिपिक सहकारी समितियाँ जयपुर।	31.5.2040	जीएडी/5/टी-1बी/89 , विद्याधर नगर
36.	15/09	श्री विनय कुमार जैन कनिष्ठ लिपिक पारिवारिक न्यायालय सं. 2, जयपुर।	30.4.2036	जीएडी/5/टी-1/91, विद्याधर नगर
37.	33/2013	श्री चन्द्रभान वरिष्ठ लिपिक नगरीय विकास (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2038	जीएडी/5/टी-1/109, विद्याधर नगर
38.	35/2013	श्री नरसीलाल मीणा वरिष्ठ लिपिक राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.5.2046	5/143, गांधीनगर
39.	16/09	श्री ओमप्रकाश मेहरा फैरोमैन सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।	31.10.2035	जीएडी/5/टी-1/110, विद्याधर नगर
40.	17/09	श्री रवि अग्रवाल कनिष्ठ लिपिक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.5	31.7.2043	जीएडी/5/टी-1/112, विद्याधर नगर
41.	18/09	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन कनिष्ठ लिपिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर।	30.6.2028	जीएडी/5/टी-1/120, विद्याधर नगर

42.	36/2013	सुश्री शोभना सोनी वरिष्ठ लिपिक वित्त (राजस्व एवं लेखा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2053	जीएडी/5/टी-1/125, विद्याधर नगर
43.	37/2013	श्रीमती प्रीति शर्मा वरिष्ठ लिपिक जन अभियोग निराकरण, विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	28.2.2042	5/150, गांधीनगर
44.	19/09	श्री सुनील कुमार जोशी कनिष्ठ लिपिक निदेशालय पशु पालन विभाग, जयपुर।	31.1.2046	जीएडी/5/टी-1/128 /बी, विद्याधर नगर
45.	21/09	सुश्री बृजेश कुमारी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय वित्तीय सलाहकार राजस्थान जल प्रदाय एवं सी. प्रबंध मण्डल, जयपुर।	31.7.2047	जीएडी/5/टी-1/135 , विद्याधर नगर
46.	24/09	श्री अनिल कोठारी कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।	30.4.2040	जीएडी/5/टी-1/137 , विद्याधर नगर
47.	39/2013	श्री अजीत कुमार बंसल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर	30.9.2045	5-बी-22, बहुमंजिला गांधीनगर
48.	40/2013	श्री साधुराम वरिष्ठ लिपिक मंत्रीमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2048	जी-938 (नया नं. 5/138) गांधीनगर
49.	4/2010	श्री लोकेश अग्रवाल कनिष्ठ लिपिक औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।	30.11.2039	जीएडी/5/टी-1/148, विद्याधर नगर
50.	6/2010	श्री चेतन सोनी कनिष्ठ लिपिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोद्दार, गांधीनगर, जयपुर।	31.8.2028	जीएडी/5/टी-1/158, विद्याधर नगर
51.	8/2010	श्री पवन कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक न्याया0 विशिष्ठ न्यायाधीश एस.सी. एस. टी., जयपुर वर्तमान- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-9, जयपुर।	30.04.2037	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर
52.	41/2013	श्री सावंरमल बलाई वरिष्ठ लिपिक मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2036	जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 2,23,27,32 एवं 47 पर अंकित आवण्टियों से कॉमन सुविधा राशि रूपये 75/- (अक्षरे राशि रूपये पिचहत्तर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


ह०

(बृज मोहन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. मुख्य खाद्य विश्लेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. उप निदेशक शिक्षा (माध्यमिक), शिक्षा संकुल ब्लॉक-3, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रानियावास, जमवारामगढ़, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग क्षेत्र कृषि निदेशालय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, रूरल नॉन फॉर्म डवलपमेंट एजेन्सी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. अधीक्षक, पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, रोजगार सेवा दरबार स्कूल परिसर गोपीमार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. भू निदेशक, भू-जल विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर नगर/न्याया0 अतिरिक्त सि. न्यायाधीश (कख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-17, जयपुर/परिवारिक न्यायालय सं 2/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या-5/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या-9 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रिलिंग उपखण्ड चतुर्थ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.)/ मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

19. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. प्राचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
22. निदेशक, पशुपालन विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
23. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान जल प्रदाय एवं सी. प्रबंध मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
24. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
25. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
26. प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोद्दार, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
27. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
28. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
29. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
30. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
31. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
32. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
33. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
34. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
35. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
36. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
37. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर